Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Bill under consideration).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we take Item No. 181 – Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 2015. Shri Sunil Kumar Singh.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I have to make a request regarding Rule 26.

Sir, we are having the very best parliamentarians, like Shri Bhartruhari Mahtab and Shri Hukmdeo Narayan Yadav, sitting here. All the Members have a right to participate in and discuss the Private Members' Business. Unfortunately, in this House, all the time for the Private Members' Business has been taken by the Government. Last Friday, there was discussion on the No Confidence Motion which went up to 10 o'clock or 11 o'clock. What happens in the Lok Sabha is that we are denied of our right to move the Bills, to discuss them and have deliberations. The same is the case with Private Members' Resolutions as well.

Sir, under Rule 26, it is your prerogative. Rule 26 says:

"The last two and a half hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transaction of private members' business:

Provided that the Speaker may allot different Fridays for the disposal of different classes of such business and on Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence:

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than a Friday for the transaction of private members' business:

Provided further that if there is no sitting of the House on a Friday, the Speaker may direct that two and a half hours on any other day in the week may be allotted for private members' business."

Sir, we all know what will happen on the last day of the Session. So, my humble request, through you, to the Government is to ensure that on Friday in the next week, at least on 10th of August, let us have full Private Members' Business in this House. Thereafter, we can sing *Vande Mataram* and adjourn the House *sine die*. This is my request.

Otherwise, we are all losing our right, our privilege and our prerogative. We cannot discuss. It is not a Government's House; it is the House of People. So, this is my humble request. I would like to invoke Rule 26 through you, Sir.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): Sir, we associate.

HON. DEPUTY SPEAKER: All are associating. Not only you, the whole House is associating.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: Sir, that is why, I said 'we associate'.

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever feelings you have expressed, I will convey them to the hon. Speaker and Government also. I think, both the Government and the Speaker will consider what you have quoted from Rule 26.

DR. A. SAMPATH: Sir, we are all sitting here. We are not disturbing the House. Even though there is no quorum, nobody is asking for quorum. It is because we all want to discuss.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sampathji, a senior Member like you have raised it. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

Dr. Sampath, what you have said is correct. I will convey your feelings to the Speaker and the Government. I may tell you that introduction of Bills was part of the Private Members' Business. It took so much of time. The Government took only 15-20 minutes of the Private Members' Business. If you want, we can extend the House by that much time after 6 o'clock so that the Private Members' Business gets two and a half hours. There is no problem.

I have already informed this. When the Members raised it – Shri Owaisi had raised it - I had said at that time that we can extend the time of the House by 20 or 25 minutes, whatever time has been taken by the Government, beyond 6 o'clock. If the Members want this, I have no objection.

Therefore, if the House agrees, we will sit up to 6.25 pm.

MANY HON. MEMBERS: Not today, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: He has quoted Rule 26. Now, the Members have a difference of opinion. What can I do for that?

Now, Shri Sunil Kumar Singh.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विन्सेंट पाला जी द्वारा लाए गए सिक्सथ शेड्यूल विधेयक के संशोधन पर बोल रहा हूं । पिछली बार शायद 29.12.2017 को बोला था, उसके बाद एक लंबी अवधि के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। 29.12.2017 और 3 अगस्त, 2018 की अवधि में नार्थ ईस्ट का पूरा परिदृश्य बदल गया है। तब नार्थ ईस्ट के वातावरण के साथ-साथ राजनीति में भी ठंडापन था । वैसे कोल्ड की तासीर बहुत गर्म होती है, अंदर-अंदर बहुत गर्म था, लेकिन वातावरण बहुत ठंढा था । लेकिन अब गर्मी के बाद जब नार्थ ईस्ट के पहाड़ों से बर्फ पिघल गई है। आज उम्मीदों की नदियों में उफान आया हुआ है।

17 01 hrs (Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

जब हम बोलने के लिए खड़े हुए थे तब न मेघालय में हमारी सरकार थी, न त्रिपुरा में थी, न नागालैंड में थी, लेकिन आज मिजोरम को छोड़ कर पूरा नार्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए शासन के अंतर्गत है। टीका-टिप्पणी की जा सकती है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यह इस बात का परिचायक है कि नार्थ ईस्ट की ठंडी राजनीत में कहीं न कहीं सीने के अंदर गर्म लावा उबल रहा था । एक बेचैनी और एक परिस्थिति भारत के अंग के रूप थी कि उसको उचित ट्रीटमेंट नहीं मिला । भारत के अनेक हिस्सों में नार्थ ईस्ट को लेकर व्यंग्य किए जाते थे, कमेंट्स किए जाते थे। लेकिन आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर पूर्व को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। त्रिपुरा का लाल रंग लगता था कि कभी नहीं बदलेगा । हमें कोई रंगों से परहेज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय संस्कृति में रंग लाल हो, रंग हरा हो, सभी भगवा के साथ चलते हैं। जब तक भगवा हमारे प्रतीक और सभ्यता का अंग नहीं होगा, हम सब उसके आनुषंगी नहीं बनेंगे,

तब तक भारत की भूमि की सांस्कृतिक चेतना के मंच पर इन रंगों की कोई अहमियत नहीं है। आज सभी रंग मिलकर साथ चलने को खड़े हुए हैं।

पिछली बार मैं बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बोल रहा था । उनके उठाए गए बिन्दुओं में दूसरे बिन्दु पर था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो दूसरी रिपोर्ट दी थी "Right type of personnel with sympathy and understanding of the tribal people should be selected. Preferably local people should be selected." लेकिन दुर्भाग्य से हमने देखा कि पिछले 67 सालों में लगभग 60 साल जिनकी सरकारें रहीं हैं, उन्होंने कमेटियों का इस्तेमाल मामलों को टालने के लिए किया है। कल भी इसी सदन में ओबीसी के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। हम सभी लोगों ने देखा कि काका कालेलकर के समय यानी पचास के दशक से यह लगातार चला आ रहा था । इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने किसी विशेषज्ञ कमेटी का निर्माण ही इसलिए किया कि उस विषय पर कोई निर्णय न करना पड़े । इसी को पॉलिसी पैरालाइसिस कहा जाता है। नीतिगत पक्षधात का शिकार है। उसी रूप में बलवंत राय महता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, अगर उस पर तत्कालीन सरकारों ने अमल किया होता, वहां के लोकल पीपुल्स से सहानुभूति रखते, जो उसी भूमि से आते हैं।

नॉर्थ ईस्ट में इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, विद्वता की कमी नहीं है। चाहे विसेंट पाला हों या अरुणाचल प्रदेश के नरसिंह जी हों, ये सब विद्वान हैं, इन्होंने उस धरती पर जन्म लिया है। इनके पास एक्सपोजर है। वहां जो सरकारें चलती रही हैं, उन्होंने न ब्यूरोक्रेसी में और न बाकी के मामलों में वहां के लोगों की राय ली नतीजन इसलिए अंदर ही अंदर गुस्सा उबलता रहा, लावा बनता रहा और आज उनको मौका मिला, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नार्थ-ईस्ट को अपने से जोड़ने का काम किया तो वह लावा उबलकर पक्ष में आ गया । अब एक जगह बाकी है, वहां भी हम सरकार जल्द ही बनाएंगे ।

उन्होंने आगे के रिकमेंडेशन में कहा – The recruited personnel should acquire knowledge of the dialect, custom and the ways of life of the people among whom they work. अर्थात् हमें जहां काम करना है, हम देखें, हमें जो कार्य क्षेत्र मिला है, हमें जिस समुदाय या समाज के लिए काम करना है, उसकी विचारधारा क्या है, वे कैसे सोचते हैं, उनके रीति-रिवाज़ क्या हैं, उनकी जीवन पद्धति क्या है, उनके समाज की कौन सी विशेषताएं हैं। नार्थ-ईस्ट ऊपर से देखने में लगता है कि सात राज्यों में बंटा हुआ अनेक जनजातियों का समाज है। सरकार में जो लोग बैठते हैं, जिनको निर्णय करना होता

है, उनको अनेकताओं, विविधताओं में एकता के स्वर खोजने होते हैं, एकता का मंत्र खोजना होता है।

मैं ये बातें सिर्फ थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं झारखंड से आता हूं। माननीय सभापति जी, आपके यहां छठा शैड्यूल है, हमारे यहां पांचवां शैड्यूल है। झारखंड में 26 प्रतिशत आदिवासियों की संख्या है। झारखंड में कहने को तो कुल मिलाकर 32 अलग समूहों में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर इसका अध्ययन किया जाए, विवेचना की जाए, मीमांसा की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा । मैं उदाहरण के साथ संथाल क्रांति के बारे में कहना चाहता हूं। यहां त्रिपरा के साथी ने उल्लेख भी किया था कि भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था । उन्होंने विद्रोह, म्युटिनी शब्द यूज किया । मैं जानता हूं कि उनकी विचारधारा विद्रोह पर ही आधारित है। हमने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 माना है। इससे पूर्व संथाल परगना में संथाल क्रांति हुई थी, इसके नायक सिद्धु, कान्हु, चांद, भैरव थे । ये संथाल समुदाय से आते थे । असम में चाय जनजाति के रूप में इनकी संख्या बहुतायत में है। उसी के साथ ओरांव में ताना भगत का आंदोलन चला । इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से अपने को जोड़ा। झारखंड के प्रख्यात समाज सुधारक नेता, झारखंड को दिशा दिखाने वाले शहीद बिरसा मुंडा, खैरवार जाति से निलांबर पितांबर आदि आंदोलनकारी हुए हैं। जब हम इनके दिए गए सूत्रों की विवेचना करते हैं तो पाते हैं कि इन्होंने अलग-अलग समय में समाज के पालन के लिए एक सूत्र दिया ।

मैं झारखंड की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे टाना भगत समुदाय में यहां पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शुद्ध शाकाहारी हैं। यहां पुरुष और स्त्रियों ने जनेऊ धारण करने का संस्कार बनाया और वे़ खुद का बनाया भोजन करते हैं। इस तरह से सामूहिक एकता सभी समुदायों के इन नेताओं ने कहा मांसाहार कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, प्रकृति की पूजा से जुड़ना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए । अब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है।

यह सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है कि विभिन्नताओं के बीच जो एकता के सूत्र हैं, जो हम सबको एक साथ लेकर चलने में सक्षम हैं, ऐसे सूत्रों को तलाशना और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए । बलवंत राय मेहता की कमेटी ने यही सुझाव दिया था । लेकिन, तत्कालीन सरकार को तो सीमा पर शांति के कबूतर उड़ाने थे । उनको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भांति-भांति की बातें करनी थीं । आज का नेतृत्व तो कनखी और मटकी से भी चलता है। इसलिए इस नेतृत्व से यह संभव नहीं था कि वे इस ओर ध्यान देते और

नतीजा यह हुआ कि नार्थ ईस्ट में सिकस्थ शेड्यूल के अंदर जिस रूप में विकास होना चाहिए था, उस रूप में विकास नहीं हुआ। उन्होंने अगला प्वाइंट कहा था कि -

> "… Efforts should be made to induce the people in tribal areas to take up settled cultivation wherever possible…".

आज हमारी सरकार आयी है। उसके पहले नार्थ ईस्ट की खेती अत्यंत दयनीय स्थिति में रही, जबकि संभावनाओं की दृष्टि से हम देंखें तो विन्सेट का ही राज्य मुझे खास लगता है। फ्रूट के प्रोडक्शन की दृष्टि से नार्थ ईस्ट में काफी व्यापक क्षमता है। लेकिन कल्टीवेशन का अर्थ हमनें सिर्फ पैडी और व्हीट को ही मान लिया था । वहां कि जो विशेषता थी, उसमें अगर फ्रूट के साथ कैप्सिकम और अनेक वेजीटेबल्स की ओर ध्यान दिया होता तो आज भी उनकी फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग होती । आज धीरे-धीरे वहां के अनेकों राज्य ऑर्गेनिक फार्मिंक की तरफ जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि हमने वहां की खेती को विकसित करने के लिए अखिल भारतीय पॉलिसी के तहत काम नहीं किया । हमने वहां की खेती को भी टुकड़े-टुकड़े में बांटकर देखने का काम किया । यह नार्थ ईस्ट की मजबूरी और लाचारी रही, जबकि नार्थ ईस्ट में संभावनाएं काफी थीं ।

माननीय सभापति: आप अभी कितना समय लेंगे?

श्री सुनील कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, अभी तो मैं बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बोलना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : सुनील जी आप पहले भी काफी बोल चुके हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह: अध्यक्ष जी, तब की स्थिति और थी और आज की स्थिति में तो जमीन-आसमान का अंतर आ गया है। वहां सरकारें बदल गयीं । अगर मैं अपनी बात को दोहराता हूं, तो आप जरूर मना कर दीजिएगा ।

माननीय सभापति : आप बोलिये, बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह: मैं आगे बलवंत राय मेहता की कमेटी का उल्लेख करते हुए कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि-

> "… Supply of necessary agricultural credit should be stressed…".

निश्चित रूप से मैं राजनीति की ओर नहीं जाना चाहूंगा । लेकिन, दुर्भाग्य से देश में राजनीति का अर्थ दलगत राजनीति लगा लिया गया । हम लोग जिस सिद्धांत को मानने वाले हैं, उसमें हमने राजनीति का अर्थ यह समझा था कि जनता के लिए जो अच्छा हो वह नीति यानी राज करने की आवश्यक नीतियों के निर्माण को राजनीति कहा जाता है। लेकिन, हमने 67 साल में आपसे राजनीति की परिभाषा सीखी है, तो थोड़ा-बहुत तो असर होगा ही । हम राजनीति में जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सफाई तो देनी ही पड़ती है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। उन्होंने अगला रिक्मेंडेशन किया था कि-

> "… Reclamation, communication and soil conservation should be taken up to provide employment to the unemployed or under-employed tribals…".

हमने लगतार देखा है कि भारत के अंदर हिमालय का पहाड़, पहाड़ों की दृष्टि से सबसे नया पहाड़ है और हिमालय में भूमि क्षरण का काम लगातार होते रहता है। इस दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए ।

हम लोगों को दो-तीन बार ईटानगर जाने का अवसर मिला है, जब भी हम लोग ईटानगर गए, हमने देखा कि बारिश के चलते वहां सड़कों पर मिट्टी कटकर बहुत बहती है, उसको रोकने की कोई वैज्ञानिक पद्धति हो । उसको रोकने के लिए कंक्रीट का जाल बिछाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वनस्पतियों के माध्यम से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बाकी क्षेत्रों में ऐसा किया जाए । चेरापूंजी जाने के क्रम में भी हमने देखा कि बहुत जगहों पर मिट्टी पानी के साथ बह रही है, उसको रोकने की वैज्ञानिक पद्धति हो । हम मेघालय को भारत का स्विटजरलैण्ड कहते हैं। सच्चाई यह है कि मेघालय के कुछ हिस्से स्विटजरलैण्ड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। हमने उसको स्विटजरलैण्ड का नाम दिया, लेकिन उसे स्विटजरलैण्ड जैसी आधारभूत संरचना बनाने की दृष्टि से कोई काम नहीं किया। अन्यथा अकेले मेघालय में यह क्षमता है कि वह देश में आने वाले टूरिस्ट्स के अधिकांश भाग अपने यहां ले जा सके । मेघालय टूरिज्म के माध्यम से सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट ही नहीं, भारत की छवि को भी प्रमोट करने में सक्षम है। ये बातें आती रहती हैं कि मेघालय में बहुत डिस्टर्बेंस है । अनेक लोग, जो आज अपने परिवार के साथ चेरापूंजी जाते हैं, उन्होंने लगातार वहां के स्थानीय लोगों की प्रशंसा की, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया । मैं कहना चाहूंगा कि अगर कम्युनिकेशन, स्वाइल कंजर्वेशन इत्यादि पर बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट का अनुपालन हुआ होता तो आज वहां की स्थिति निश्चित रूप से इससे अलग होती ।

इसी के साथ, अनेक चीजें, जिनके बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में कहा गया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और इलेक्टेड बॉडी है। निश्चित रूप से विन्सेंट जी ने जिस आदिवासी परम्परा और संस्कृति की बात कही है, उसको निश्चित रूप से हमें सुरक्षित रखना होगा । इस विषय पर उनसे किसी को असहमति नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम विभिन्नताओं के बीच रहकर भी अपनी सामाजिक परम्परा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखकर आगे बढ़ने के द्योतक हैं। हमने भारतीय संस्कृति और संविधान में सह-अस्तित्व को स्वीकारा है, यानी साथ-साथ परस्पर मिलकर चलने की प्रक्रिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उदार होकर हिन्दुत्व की परिभाषा की है। उन्होंने कहा है कि हिन्दुत्व एक 'वे ऑफ लाइफ' है, जिसमें हम सभी साथ मिलकर चलते हैं। यह कोई जाति, धर्म, क्षेत्र या वर्ण पर आधारित नहीं है। हिन्दुत्व यहां की परम्परा और जमीनी हकीकत है, यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है। वोट बैंक की लालच में उसकी अलग-अलग व्याख्या करते हैं। हम इसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आज यहां अनेक बातें कही जा रही हैं। इस तरह से निश्चित रूप से जो बातें विन्सेंट जी ने कही हैं, उनसे हमारी सहमति है। उस परम्परा में प्रधान का जो सिस्टम है, जिसे हम हेड ऑफ द विलेज कहते हैं, वह परम्परा कहीं न कहीं जीवित रखनी चाहिए और सरकार को उसे संरक्षण देना चाहिए । उस परम्परा का अगर कहीं पंचायती राज सिस्टम से टकराव होता हो तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि 'प्रधानी' का वह सिस्टम भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से निकलता है। इसलिए उस रूप में आदरणीय विन्सेंट जी ने जो बात कही है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए । साथ ही, हमें स्थानीय लोगों के फॉरेस्ट राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए । वन अधिकार के जो पट्टे हम देते हैं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज के दिन मेरा संसदीय क्षेत्र दो-दो ईएसजेड के दुष्प्रभाव झेल रहा है। एक, बेतला नेशनल पार्क, जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष 1973 में बना और भारत के सबसे पुराने नौ टाइगर रिजर्व्स में से एक है। दूसरा, लावालोंग वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी है। ईएसजेड बनाने के क्रम में हम वहां के आदिवासियों के पट्टे के अधिकार को छीन रहे हैं।

वहां के निवासियों से इस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए । हम जंगल के संरक्षण की दृष्टि से अगर वहां के नागरिकों का अधिकार छीनेंगे तो मैन-एनीमल कांफ्लिक्ट उत्पन्न होगा । जब मानव और पशु-जंगल के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा तो जंगल की रक्षा नहीं होगी । जंगल की रक्षा तभी हो सकती है जब जंगल में रहने वाले निवासियों को बराबरी का अधिकार हो । उनको यह लगे कि यह जंगल, जानवर हमारी जिन्दगी, हमारी आर्थिक

संरचना की दृष्टि से उपयोगी है और आज जब हम दुनिया की छठीं इकोनॉमी बन चुके हैं तो हमारे पास उदाहरण है, चाहे वह साउथ अफरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और केन्या जैसे देश हों, इन्होंने जिस रूप में अपने जंगल और जानवरों की रक्षा की है, …(व्यवधान)

सभापति महोदय : सुनील जी, अब समाप्त करें । अन्य सदस्य भी अभी बोलने के लिए हैं। अब आप समाप्त करें ।

श्री सुनील कुमार सिंह: सर, मैं समाप्त कर रहा हूं । निश्चित रूप से माननीय नेहरू जी ने कभी यह सपना देखा था कि नॉर्थ-ईस्ट हमारी आर्थिक व्यवस्था और रचना की दृष्टि से मिडिल प्वाइंट हो । हम नेहरू जी के उस सपने को साकार करना चाहते हैं। इन बातों को लेकर राजनीतिक विरोधाभास की स्थिति नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में गडकरी जी ने जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सड़कों की योजना बनाई है, जो बर्मा के माध्यम से सिंगापुर होते हुए टोकियो तक जाती है, …(व्यवधान) सभापति जी, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन समय का ध्यान रखिये, ज्यादा अच्छा होगा । अब आप समाप्त करें ।

श्री सुनील कुमार सिंह : सर, समय का तो हम ध्यान रख रहे हैं कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी पूरा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं । मुझे आप मात्र तीन मिनट का समय और दे दीजिए । मैं कह रहा था कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय गडकरी जी ने एशियन हाईवे नं.1 जो टोकियो से इंस्तान्बुल जाएगा, हमने उसके मिडिल में नॉर्थ-ईस्ट को लाने की कल्पना की है। वह दुनिया के व्यापार को उस रूप से संचालित करेगा । इसी के साथ-साथ जो बाकी संभावनाएं पनबिजली वगैरह की है, उस दृष्टि से भी हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

चूंकि आपने कहा है कि बहुत सारी बातें नहीं कहनी हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट मैम्बर्स बिल में कुछ संशय उठे थे । जब भर्तृहरि महताब जी बोल रहे थे, उस समय त्रिपुरा के सदस्यों ने यह कहा कि मणिपुर वह मणिपुर नहीं है जिसका महाभारत में उल्लेख है। क्या हमारे मैथोलॉजी पर जो प्रश्नचिन्ह खड़े होंगे, क्या उसका जवाब यहां से नहीं दिया जाना चाहिए? यह कौन सा अधिकार आपको किसने दिया कि चित्रांगदा वहां पैदा नहीं हुई और यदि हुई तो वह दूसरी महिला थी । भर्तृहरि

महताब जी को बोलते समय टोका गया । हमें इन बातों की चर्चा करते हुए, इन बातों से बचना चाहिए ।

हम जब भारत की एकता, एकजुटता और संस्कृति की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए । ये टूटने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए । आज उसी का नतीजा यह था कि त्रिपुरा के जो सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने इसको भुगता । आज त्रिपुरा की जनता ने दिखा दिया कि त्रिपुरा और मणिपुर का किस इतिहास से उनका साथ था और किस इतिहास के वे अंग थे?

आज वहां त्रिपुर सुंदरी है। मणिपुर में श्रीकृष्ण मौजूद हैं। माता कामाख्या वहां मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनेकों तीर्थ मौजूद हैं। हमारे इतिहास और पुराण कहते हैं कि प्रागज्योतिषपुर भारत का अभिन्न अंग था । अगर आप इसे झूठलाने की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से इसकी एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होगा ।

सभापति महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वे अच्छा प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हम तुरंत परिवर्तन की मांग करें । मैं उनके विचार से सहमत हूं, लेकिन मैं यह प्रयास चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करके जो नया संशोधन लाना है, वह सरकार लाए । संशोधन लाते समय, विचार करते समय हम एथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, इन चारों के इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलेंगे तो हम समग्र और एकात्म विकास की ओर बढ़ेंगे । वही चिरस्थायी विकास होगा, इसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसी के लिए हमारी सरकार काम करती है। मैं यही बात कहते हुए अपनी वाणी को आराम दूंगा ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापति महोदय, आपने मुझे सिक्सथ शेड्यूल ऑफ कॉंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 2015 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बिल हमारे सहयोगी विनसेंट पाला जी लाए हैं। सिक्सथ शेड्यूल कॉंस्टीट्यूशन के अंदर ही अपने-आप में एक कॉंस्टीट्यूशन है।

माननीय सभापति : अगर आप अपने सीट से बोलते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं, नहीं तो वहां चला जाऊंगा ।

माननीय सभापति : आप आगे से ध्यान रखें ।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, चार राज्यों में 10 काउंसिल्स हैं। हमारे साथियों ने उन काउंसिल्स में सदस्य बढ़ाने के लिए यह बिल सदन में लाए हैं। जो 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, निरंतर यह मांग रही है कि उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए । यह अथॉरिटी केवल महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। काउसिल्स की निरंतर मांग रही है कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, चाहे वह नागालैंड की तरह फॉरेस्ट और माइन्स के अधिकार हों या वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो । इसको निरंतर चर्चा का विषय माना जाता है, क्योंकि काउंसिल्स के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वह वहां के महामहिम गवर्नर के हाथ में है। उन अधिकारों को केन्द्र सरकार बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। हम निरंतर चर्चाएं देखते आए हैं। वहां पर जो इंडीजिनस ट्राइब्स हैं। वे दो सौ सालों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब वे हिन्दुस्तान का हिस्सा बनीं तब भी शर्तें रखी गईं और उन शर्तों में ही कहीं न कहीं यह सिक्सथ शेड्यूल भी अपनी जगह बना कर आया है।

सभापति महोदय, एक चीज देखने वाली है कि इन काउंसिल्स को निरंतर खारिज किया गया है, क्योंकि उनकी ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं है। उन काउंसिल्स पर निरंतर करप्शन के बड़े-बड़े चार्जेज लगे हैं। जब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो सदन को इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि केन्द्र सरकार के विचाराधीन अटानॉमी अथॉरिटी पर भी हम सभी विचार करें ।

सभापति महोदय, आज तक संविधान के अंदर जब भी काउंसिल्स बनीं, एंटी डिफेक्शन लॉबी इन काउंसिल के अंदर हमारी केन्द्र सरकार नहीं ला पाई । वहां कोई अपना दल बदलता है, आया राम गया राम होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आया राम गया राम, हरियाणा से शुरू हुआ ।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, हरियाणा से जरूर शुरू हुआ लेकिन खड़गे जी के लोगों ने करने का काम किया। चौधरी देवी लाल जी जब आंकड़े लेकर बैठे थे, तो सभी जानते हैं कि तपसे जी ने किस तरह से स्वर्गीय भजन लाल जी को शपथ दिलाने का काम किया था ।

सभापति जी, सदन में गृह राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि संसद की पावर के माध्यम से इन काउंसिल्स में एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू करने का काम किया जाए । किरेन रिजीजू जी मेरा साथ देंगे, इनकी स्वयं की ट्राइब निरंतर यह मांग कर रही है कि अरूणाचल प्रदेश में मौरान और पतकाई को भी आटोनॉमस काउंसिल का दर्जा दिया जाए । मंत्री जी से यह विचार साझा करूंगा कि यदि इस तरीके से सारी ट्राइब्स

को शामिल करने का काम करेंगे, तो फिर हरियाणा के नाथ और गडिया लौहार भी यह मांग करेंगे कि हमारे अधिकारों का भी हनन न हो । यह निरंतर मांग रही है कि एसटी जहां भी हैं चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, नार्दन महाराष्ट्र हो, सदर्न गुजरात हो, वे अपने अधिकार की बात करते हैं। शेड्यूल सिक्स्थ केवल इन चार राज्यों के लिए है, इसलिए केंद्र सरकार को यह विचार करना चाहिए कि अरूणाचल के लोगों की मांग को ध्यान में रखे ।

सभापति जी, जहां तक काउंसिल्स के एरियाज की बात है, मेघालय में नर्टियांग टैम्पल 800 साल पुराना है। वहां की सरकार ने भी उसकी डेवलपमेंट के लिए आग्रह किया है। मंत्री जी वहां विजिट करके आए, उसके बावजूद भी वहां कोई कदम नहीं उठाया गया । सदन में आर्कियोलॉजिकल साइट्स के मंत्री बैठे हैं, हिसार में तो आठ हजार साल पुरानी साइट है। हमारी मांग है कि आप थोड़ा ध्यान राखीगढ़ी पर भी दीजिए । यह ऐसी साइट है जो पूरी दुनिया में एक ऐसा इतिहास है शायद उसे डेवलप करे तो दुनिया का इकलौता विजिटेड स्पॉट बनेगा, जो डेवलप हुआ है। यहां भी आपने लोगों पर बेघर होने की तलवार लटकाई हुई है। इन ट्राइबल लोगों की भी यही मांग है कि इन्हें बेघर न किया जाए । राखीगढ़ी के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें बेघर न किया जाए । यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो एक विजन साथ लेकर चलिए । आप तीन बार सदन में आश्वासन दे चुके हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन आज तक एक कमेटी का निर्माण राखीगढ़ी के विकास के लिए सरकार ने नहीं किया है।

हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, लेकिन नार्थ-ईस्ट भी पीछे नहीं है। मैं सरकार को बधाई दूंगा कि आज ही नार्थ-ईस्ट में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की बात की है, चाहे वह फेंसिंग हो, आर्चरी हो या बॉक्सिंग हो । हम देखते हैं कि ट्राइबल एरिया से जो खिलाड़ी आते हैं, वे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं ट्रेडिशनल फैक्टर के साथ आते हैं। सरकार सेवन सिस्टर्स को हरियाणा के साथ जोड़ने का काम करे और जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए साझे तौर पर हमें प्रोग्राम डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद रखूंगा कि आपकी जो दस आटोनॉमस काउंसिल्स हैं, इन्हें आप हमारे प्रदेश की सरकार के साथ चलाएं ताकि आने वाले समय में जॉइंटली प्रोग्राम्स चलाए जा सकें ।

जहां तक केंद्र सरकार के अधिकारों की बात है, पाला जी ने एक बात इस बिल में रखी है कि ज्वायंटली केंद्र और प्रदेश की काउंसिल्स को साथ चलना चाहिए । सबका नारा तो जरूर साथ चलने का दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं भेदभाव

निरंतर देखने को मिलता है। मैं उम्मीद रखूंगा कि जब हम सभी साथी इस प्राइवेट मैम्बर बिल को साथ लेकर आ रहे हैं और बीजेपी के भी किसी साथी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, तो साझे तौर पर चाहे मैम्बर्स बढ़ाने की बात हो या अधिकारों की बात हो, पाला जी का इस लड़ाई में साथ दें, जिसके माध्यम से हमें इन दस काउंसिल्स में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी ।

इन काउंसिल्स की पावर को हम बढ़ाएँ । आज अधिकतम पावर्स महामहिम राज्यपाल के हाथों में हैं। काउंसिल्स के हेड्स को मात्र कार्यकारी के तौर पर ऊपर बिठाया गया है। यदि सरकार चाहती है कि उनको कार्यकारी तौर पर नहीं, यदि मैं इन दस काउंसिल्स की बात करूँ, तो त्रिपुरा में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बनाये गये हैं। मिजोरम में चोकमा, मोरा, लाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। असम में नॉर्थ कचार, कार्बी आंगलांग, बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेघालय में खासी, जंतिया, गारो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये दस जिले शेड्यूल सिक्स में मार्क्ड हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स की निरंतर यही मांग है कि उनके अधिकार दिये जाएं ।

जब लेजिस्लेशन और संसद के अधिकारों की बात आती है, तो यह कर्तव्य हरेक साथी का बनता है कि उन अधिकारों का खुलकर समर्थन भी करें ताकि आने वाले समय में इन ट्राइबल एरियाज का विकास हो । हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि वहाँ टूरिज्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ।

मुझे याद है, जब चौधरी देवी लाल जी वर्ष 1989 में इस देश के उपप्रधानमंत्री थे, तो उस समय उनको मणिपुर जाने का मौका मिला था । ट्राइबल लोग अपनी ऐतिहासिक तीर-कमान रखते हैं, उन लोगों ने वही उनको भेंट किया गया था । आज भी हिस्टोरिकली और कल्चरली जो वेशभूषाएँ हैं, रीति-रिवाज़ हैं, इसके लिए सभी सातों राज्य बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसे उसी तरीके से आज भी इंटैक्ट रखा है। यह भी हमारे लिए एक ट्रेजर है, जिसे हम सभी को मिलकर हमारे सिस्टम के साथ जोड़ना चाहिए । सरकार को स्पेशल पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से नॉर्थ-ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और अधिक कदम उठाए जाएं ।

जब प्रदेशों की बात आती है, तो हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली नॉर्थ-ईस्ट का एक बड़ा योगदान भारत की संस्कृति में रहा है। हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ एक टूरिस्ट साइट और एक ऐतिहासिक साइट भी है, जिसका नाम भीष्मा नगर है। उसके विकास के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए । बीजेपी के साथी यह बताना भूल गये कि परशुराम कुंड भी उन्हीं ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह एक तीर्थ स्थान हैं। ऐसे अनेक

तीर्थ स्थान हैं, जिनके विकास के लिए आने वाले समय में भारत सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए ।

महोदय, मैं तो यही उम्मीद रखूँगा कि नॉर्थ-ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए आज तक जो काम नहीं हुए, वे होंगे । हम निरंतर सुनते हैं कि 48 बनाम 12 या 12 बनाम 48 के तरीके से जो भेदभाव देखा जाता है, उस भेदभाव में कहीं नॉर्थ-ईस्ट को पीसा न जाए । मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कदम उठाएगी ।

मैं आपका दोबारा आभार प्रकट करूँगा, आपने विंसेंट पाला जी द्वारा लाये गये सिक्स्थ शेड्यूल पर मुझे बोलने का मौका दिया । मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि यह हाउस भी एकजुट होकर इन काउंसिल्स की डेवलपमेंट के लिए विंसेंट पाला जी का साथ देगी ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति जी, आज हमारे सम्मानित विनसेंट पाला जी के प्राइवेट मेंबर बिल पर इस सदन में विचार हो रहा है। इस पर उन्होंने संविधान की छठी अनुसूची, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या जिला परिषदों की शक्तियों और उनके गठन को विस्तारित करने के लिए तथा क्षेत्रीय काउंसिल की शक्तियों में संशोधन के लिए इस सम्मानित सदन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। इस पर आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

हमारे सम्मानित सदस्यों और सुनील जी ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं। उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज उसका परिणाम है कि उस क्षेत्र की जनता और नॉर्थ-ईस्ट में जिस विचारधारा के लोग थे और जिस तरह की परिस्थितियां थीं, वहां हम देश के एक अविभाज्य अंग की तरह से लगातार सतत प्रयास कर रहे थे, हम उसे शक्ति देने का भी काम कर रहे थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नॉर्थ-ईस्ट में चाहे नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो या मिज़ोरम हो, इन सभी स्टेटस के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपने मंत्री परिषद के वरिष्ठ मंत्रियों का समय निर्धारित किया । लुक ईस्ट एण्ड एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लाई गई, ताकि हम इस कार्यक्रम में किस तरह केंद्र की सारी योजनाओं को नॉर्थ-ईस्ट में लागू कर सकें और वास्तविकता के धरातल पर वहां की जनता को उसका लाभ मिल सके । इस दिशा में सभी मंत्रियों को उन क्षेत्रों का दौरा करना होता था । आजादी के बाद पहली बार इस तरीके से केंद्र की सरकार के प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों ने दिलचस्पी ली है। इसका परिणाम है कि वहां पर आज एक बदलाव आया है, जैसा सुनील जी भी कह रहे थे। वहां एक परिवर्तन आया

है। यह परिवर्तन केवल भौगोलिक विकास या सामाजिक संरचना की दृष्टि से नहीं हुआ, बल्कि आम जन मानस भारत के जिस हिस्से से हैं, केंद्र सरकार द्वारा विकास की मुख्य धारा में उन राज्यों को शामिल कर के हुआ है। उन राज्यों की जनता के अधिकार और सहभागिता की हिस्सेदारी करने की दिशा में प्रयास किया गया है।

सम्मानित विनसेंट पाला जी जो संशोधन लेकर आए हैं, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यत: तीन बातें कही हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की संख्या 30 है, उसे 40 किया जाए। इससे करीब-करीब सभी सहमत हैं। चार सदस्य जो महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित होते थे, उनको भी 30 से 40 कर के सभी इलैक्टिड हों । जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उन्हें power to make laws regarding mines and minerals. यह विषय ऐसा है कि इस पावर को डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाए, यह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अधिकार में हो। स्टेट्स के फैडरल स्ट्रक्चर में मिनरल्स, माइन्स, लैण्ड, एग्रीकल्चर पर राज्यों का अधिकार होता है। इस संबंध में इन्होंने अपना विचार दिया है। Method for Council to protect the customary practices. इस पर तो कदाचित् सभी सहमत हैं कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेज़ हैं, लोगों की जो परंपरागत संस्कृति है या वहां की जो अपनी मौलिकता है, उसी मौलिकता की पूरे देश-दुनिया में पहचान है। निश्चित तौर पर इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम उसे अक्षुण्ण रखना चाहते हैं।

महोदय, सुनील जी ने फिफ्थ शेड्यूल का बहुत अच्छा सवाल उठाया है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के एरियाज़ में फिफ्थ शेड्यूल लागू होता है। हमारे यहां दो तरीके के शेड्यूल हैं। एक ट्राइबल एरिया का शेड्यूल है और दूसरा शेड्यूल एरिया का है। शेड्यूल एरिया में सेन्ट्रल इण्डिया के क्षेत्र आते हैं, जिनमें आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है। ट्राइबल एरियाज़ में नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल एस्टेट्स को कवर करता है। शेड्यूल एरिया फिफ्थ शेड्यूल से कवर होता है। फिफ्थ शेड्यूल से कवर होने के कारण केवल उनकी जिला परिषदों को ही अधिकार नहीं है, नॉर्थ-ईस्ट के एरियाज़ को छोड़कर, गांव की पंचायतों को भी कंस्टीट्यूशनल बैकिंग है। पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे। कई राज्यों में वर्षों तक चुनाव नहीं हुए । थ्री टीयर सिस्टम के तहत पंचायती राज व्यवस्था की जंग-ए-आजादी के लोगों ने अवधारणा देखी थी कि देश की आजादी के बाद हमारी एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होगी । लोकल गवर्नमेंट की अवधारणा यही थी कि गांव की समस्याएं, गांव का विकास और लोकल इश्यूज़ पर काम हो । वैदिक काल से इसकी अवधारणा थी और समितियां बनती थीं। 16 गणराज्य थे, जिनमें वैशाली हो या लिच्छवी हो, उनमें गांव की समितियां थीं। उस समय तात्कालिक रूप से वहां की

समस्याओं और इश्यूज़ पर चर्चा की जाती थी । आज वे समितियां ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है। ग्राम सभाओं और गांव की पंचायतों को हमें निश्चित तौर से संवैधानिक बैकिंग देनी होगी । विंसेंट पाला जी ने अपने इस अमेंडमेंट में वह बात नहीं की है। हमें टोटलिटी में बात करनी चाहिए । हम नॉर्थ-ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं। शेड्यूल सिक्स में नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं हैं। These areas have been left out of Part 9 of the Constitution. संविधान के पार्ट 9 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स को कंस्टीट्यूशनल स्टेट्स दिया जाता है। Need for Constitutional status to the Panchayati Raj in Sixth Schedule. पंचायतों में विमन्स का रिजर्वेशन है। फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है, While Part 9 has reserved one-third of all Panchayat seats for women. लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल में महिलाओं का कोई रिज़र्वेशन नहीं है। सिक्स्थ शेड्यूल में पंचायतों में उनकी अवधारणा बतायी गयी है। लेकिन उनको आज भी वह अधिकार नहीं मिला है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स में सबसे बुनियादी गांव की पंचायतें हैं। अगर हम नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स को मजबूत करना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले हमें आर्टिकल 243(g) का शेड्यूल 11 विलेज लेवल पर पंचायतों को अधिकार देता है। यह सबसे बड़ा डीसेंट्रलाइजेशन होगा । संविधान निर्माताओं की अवधारणा थी कि शासन को हम विकेन्द्रित करेंगे । आज फेडरल स्ट्रक्चर के तहत पहली बार 14वें फाइनेंस कमिशन को पहली बार डीवेल्यूवेट किया गया है । नरेन्द्र मोदी जी ने खुद मुख्यमंत्री के रूप में देखा था, इसलिए संसाधनों में राज्यों का दस परसेंट बढ़ाया, जिससे हर राज्य को पांच हजार, आठ हजार, दस हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ ।

आज एक बार फिर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ताकत दे रहे हैं । उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ तब तक शार्ट कमी बनी रहेगी, जब तक कि उनके अंतर्गत जिलों की गांव सभाओं को, गांव की पंचायतों को हम ताकत नहीं देंगे । हमने देश की इसी सम्मानित पार्लियामेंट में संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ था, जिसके आप भी साक्षी हैं, वह संशोधन इस देश के लिए एक एतिहासिक संशोधन था । हमने उस संशोधन के जरिए देश की गांव सभाओं और देश के लोगों को ताकत प्रदान की । उसमें जो कांस्टीट्यूशन का पार्ट नाइन था, उस पार्ट नाइन को हमने लागू करने का काम किया । पार्ट नाइन में उन गांव सभाओं को हमने अधिकार देने का काम किया । कम से कम लैंड एक्विजिशन की कार्यवाही हो या इकोनॉमिक डेवलेपमेंट की बात हो, रेगुलेशन ऑफ लोकल मार्केट

की बात हो, गांव के तालाब हों या उसकी नीलामी करके गांव का विकास हो और गांव का राजस्व बढ़े इस तरह की कोशिश हो । जिस तरीके से गांव सभाओं की सारी परिसंपत्तियों पर, गांव सभाओं की खुली बैठक में उसका अधिकार होगा और उसको रेग्यूलेट करने के लिए गांव में यदि कहीं कोई विकास हो रहा है तो उस खुली बैठक में उसकी गुणवत्ता पर निश्चित तौर से चर्चा भी होती है और सवाल भी उठते हैं ।

यह आपने देखा होगा कि जब हमने 73वां संविधान संशोधन किया, उसमें फिफ्थ शैड्यूल एरियाज के लिए पंयाचत एक्सटेंशन टू द शैड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, तो वर्ष 1996 में हमने जो पेसा, पंयाचत एक्सटेंशन टू शैड्यूल्ड एरियाज एक्ट किया। तो आज देश के उन सभी राज्यों मे पेसा का कानून है, जिसके नाते हमने गांव की सभाओं और गांव की पंचायतों को अधिकारयुक्त किया है। उससे गांव की सभाओं और पंचायतों को पावर डिराइव हुआ है। आज मुझे लगता है कि नार्थ-ईस्ट में भी उस पेसा के एक्ट को, जो पंयाचत एक्टेंशन टू शैड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 की आवश्यकता है। चूंकि आज हम सभी सम्मानित सदस्यों को प्राइवेट मेंबर बिल पर बोलने का अवसर मिला है, तो उस समय जब शैड्यूल-5 और शैड्यूल-6 बनाया गया। क्या आज हम यह महसूस नहीं करते हैं कि अब हमको शैड्यूल-6 में भी, जिस तरह से शैड्यूल-5 पावर है, उस तरह की पॉवर दें? जो सिक्स्थ शेड्यूल है, उसमें जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया कि the Sixth Schedule does not provide for any reservation for women while part IX has reserved one-third of seats for women in Panchayats. आखिर इसी देश में यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? जब एक तरफ भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, देश में जिस तरह से एक परिवर्तन आया है, महिलायें जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, आज देश के हर क्षेत्र में, स्वच्छता अभियान से लेकर, केन्द्र के जो फैसले हो रहे हैं, बहुत सी योजनाओं को जिन्हें लागू कर रहे हैं, उसको हमने वूमेन सेंट्रिक किया है। आज देश में अगर पांच करोड़ उज्जवला के अंतर्गत गैस चूल्हा और सिलेण्डर वितरित करने का काम किया है, तो उसका जो स्वामित्व है, जो कार्ड है, उसे हमारी सरकार ने महिलाओं के नाम से ही किया है। इसी तरह से प्रधान मंत्री आवास योजना है या सौभाग्य योजना है, तो आज हम महिलाओं के उस अधिकार को, महिलाओं को सशक्तिकरण करके, महिलाओं को एक शक्ति देकर, केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि देश की मुख्य धारा में जितना योगदान समाज के पुरूषों का है, उससे कहीं कम हमारे देश की महिलाओं का न हो । उस दिशा में आपने देखा होगा कि एक तेजी से बदलाव आया है।

एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना नार्थ-ईस्ट में हुई, तो जैसा कि चौटाला जी उल्लेख कर रहे थे कि अगर हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में अगर आज मैडल दिलाने

वाले स्पोर्ट्स मैन निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से नार्थ-ईस्ट में मैरीकॉम से लेकर के कितनी ऐसी महिलाएं हैं, जो मेडल ला रही हैं, वे देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर हैं।

आज पहली बार केन्द्र सरकार का यह निर्णय हुआ कि अगर नार्थ-ईस्ट के राज्यों में ऐसी प्रतिभाएं रहती हैं जो केवल मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ही अपना स्थान नहीं बना सकती हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जैसे गेमों में मेडल लाकर भारत का नाम रोशन करेंगी । आज आपने यह देखा कि जहां यह होता था कि नार्थ-ईस्ट के लोगों के साथ उपेक्षा रहती थी, उन्हें लगता था कि हम केन्द्र सरकार से दूर हैं। उनके मन में यह भाव आता था कि हम लोग भी भारत का ही हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें यह फीलिंग नहीं रहती थी कि वे भारतीय हैं। उन्हें यह लगता था कि जो हमारा हक-हकूक है या जो विकास में हमारी सहभागिता है, हिस्सेदारी है, शायद वह नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पिछले चार वर्षों में परिवर्तन आया है और वातावरण बदला है।

केन्द्र सरकार की दिशा भी बदली है। केन्द्र सरकार ने अपनी उस दिशा से आज उन राज्यों को जो देश के हर राज्यों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बराबरी में लाकर खड़ा किया है और उस तरफ ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि जो छठा शेड्यूल लागू है, उसको कहीं न कहीं जो पांचवें शेड्यूल का गवर्नेंस था, अगर पूरे देश को पार्ट नौ के साथ हम लागू करें तो निश्चित तौर से इससे लाभ होगा और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ-साथ जो हमारी चीजें हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम कांस्टीट्यूशन स्टेटस कब देंगे । उस कांस्टीट्यूशन स्टेटस के लिए अगर आज हम केवल सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज में रखेंगे तो शायद उनके पास वह बैकिंग नहीं है। उनको आर्टिकल 243-जी के शेड्यूल 11 में अधिकार मिला हुआ है, जो दूसरे राज्यों की तमाम पंचायतों को मिला है। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण और अधिकार है कि हम देश के उन राज्यों के उन गांवों को भी देश की मुख्यधारा के साथ जोड़ सकें तो यह समय है कि अब हम उस पर भी विचार करें । यदि हम इस बारे में विचार करेंगे तो निश्चित तौर से यह हमको शक्ति देगा । जो एक सैल्फ गवर्नेंस की बात है, वह विलेज लैवल पर रिप्रजेन्टेशन देगा। जब विलेज लैवल रिप्रजेन्टेशन होगा तो कम से कम उन गांव सभाओं, पंचायतों में लोगों को डिसीजन मेकिंग का अधिकार होगा, लोगों के पास कम से कम उसी पंचायत में बैठकर अपने विकास के फैसले या जो उनके लोकल इश्यूज होंगे या सम्पत्तियों के जो अधिकार होंगे, उनके निर्णय लेने में उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लैवल पर नहीं जाना पड़ेगा। वे खुद सक्षम होंगे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी तभी मजबूत होगी, जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डीसैंट्रिलाइज करेंगे । अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधिकार निहित होते हैं और किसी प्रजातांत्रिक

प्रणाली में हम उस ढांचागत को मजबूत करते हैं तो इससे बेहतर और कोई चीज हो नहीं सकती । यही एडमिनिस्ट्रेशन का जो डीसैंट्रिलाइजेशन है, जो डीसैंट्रिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वह भी यह लीड करता है कि यदि हम इस विषय पर विचार करेंगे तो यह निश्चित तौर से होगा । क्योंकि अंततोगत्वा आज हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी धारणा है।

इस सदन में विंसेन्ट भाई इस बिल को लेकर आए हैं। उनकी इच्छा यही है कि नार्थ-ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अगर हम मजूबत करते हैं तो हम स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी उस काउंसिल की बाडी को मजबूत करते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि अगर हम इसमें संख्या बढ़ा रहे हैं तो यह देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधिकार जिला लैवल पर इतने सैंट्रलाइज न हो जाएं कि जो आपका उद्देश्य है, क्या वह पूरा हो सकता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चित तौर से उसको हमें डीसैंट्रिलाइज करना होगा, विकेन्द्रीकृत करना होगा और विकेन्द्रीकृत करने के लिए अगर सबसे उपयुक्त है तो निश्चित रूप से नार्थ-ईस्ट के जिन स्टेट्स में जहां अभी भी सिक्स्थ शेड्यूल लागू है, उनको पावर दी जाए, ताकि हम उन गांव सभाओं को, गांव की पंचायतों को एक ताकत दे सकें, उनको अधिकार दे सकें और उस अधिकार से फिर लोकल गवर्नमैंट या सैल्फ गवर्नेंस का एक निर्णय हो सके और वे डिसिजन मेकिंग में सक्षम हो सके ।

इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से हम यह चाहेंगे कि जो नार्थ-ईस्ट के बारे में आपने कहा कि हम आदिकाल से चले आ रहे हैं और विकास के लिए जब नार्थ-ईस्ट में पावर मिली तो वहां एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अवधारणा हुई । लेकिन उसके साथ-साथ क्षेत्रीय काउंसिल की बात भी हुई ।